ट्रक कंटेनर में ले जाया जा रहा 1.48 करोड़ रुपये का 300 किलो गांजा पकड़ा

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जयपुर और जोधपुर की संयुक्त टीमों ने टोंक में कार्रवाई की

टोंक/जोधपुर, (कासं)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जयपुर और जोधपुर की संयुक्त टीमों ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत टोंक में कार्रवाई करते हुए करीब तीन सौ किलो गांजा पकड़ा है। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 1.48 करोड़ रुपए बताई गई है। गोपनीय सूचना के आधार पर एनसीबी की संयुक्त टीम ने 19 मई की रात को टोंक के सोनवा टोल प्लाज़ा पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

एनसीबी के जोनल निदेशक (जोधपुर-जयपुर) आईआरएस घनश्याम सोनी ने बताया कि जोधपुर एनसीबी के पास महत्वपूर्ण इनपुट था और उसी आधार पर एनसीबी की टैक्निकल सर्विलांस यूनिट लगातार उस पर काम कर रही थी। टीम को पुख्ता जानकारी मिली, तब संयुक्त टीम ने टोंक के सोनवा टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध ट्रक कंट्रेनर को रुकवाया। जब इसकी बारीकी से तलाशी ली गई, तो उसमें एक विशेष रूप से निर्मित छुपा हुआ कक्ष मिला जिसमें 290 पैकेटों में कुल 296.204 किलोग्राम गांजा छुपाकर रखा गया था। कार्रवाई के दौरान एनसीबी की टीम ने ट्रक के चालक और सह-चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा नशीले पदार्थों के प्राप्तकर्ता को भी धर दबोचा।

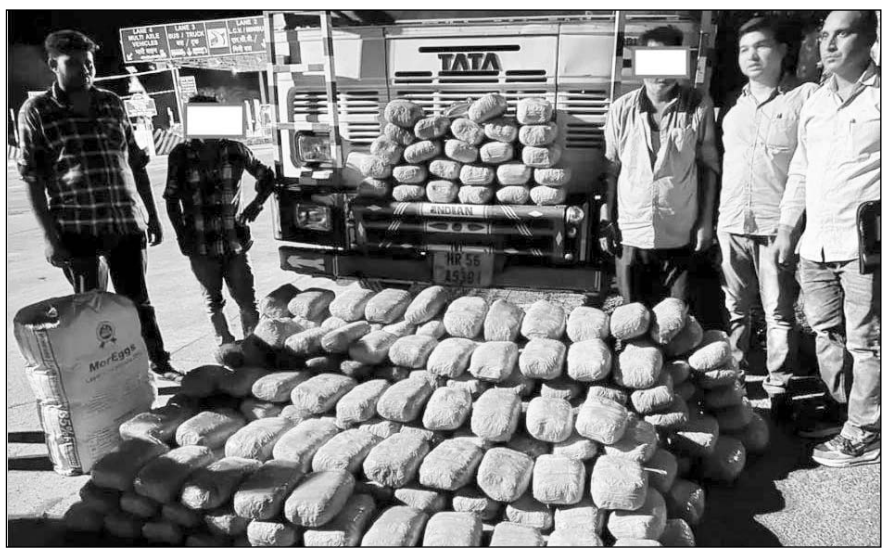

एनसीबी की टीम ने ट्रक के चालक और सह चालक को गांजा सहित गिरफ्तार किया।

- ट्रक के चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया, नशीले पदार्थों के प्राप्तकर्ता को भी दबोचा
- एनसीबी ने टोंक के सोनवा टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध ट्रक कंट्रेनर में गांजा पकड़ा

जोनल निदेशक घनश्याम सोनी के अनुसार इस ऑपरेशन में टोंक और सीकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भी अहम भूमिका निभाई। अब गिरफ्त में आए तीनों बदमाशों से तस्करी के इस नेटवर्क की गहराई तक जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

एनसीबी के जोनल निदेशक सोनी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे की प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिए एनसीबी का सहयोग करें। यदि किसी के पास नशीले पदार्थों से जुड़ी कोई सूचना हो, तो पोर्टल एमएएनएएस या 1933 हेल्पलाइन नंबर पर गुप्त रूप से जानकारी दे सकता है। सूचनाकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा।

पचास लाख की पंजाब निर्मित शराब पकड़ी, दो जने गिरफ्तार

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के सायला पुलिस ने गुरुवार को सरहद सांगाणा स्थित एक्सप्रेस- वे टोल नाका के पास ट्रक डम्पर को जब्त कर पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 414 कार्टून बरामद कर दो आरोपियो को गिरफ्तार किया। बरामद अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत 50 लाख रूपये आंकी गई है।

महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार जोधपुर, रेंज जोधपुर के द्वारा रेंज में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु "ऑपरेशन भौकाल" के तहत कार्यवाही करने के निर्देशानुसार मन ज्ञानचन्द्र यादव, जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के निर्देशानुसार जिले में शराब तस्करी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत हाइवे नाकाबंदी, संदिग्ध स्थानों एवं वाहनों की सघन तलाशी ली जाकर जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाहीयां की जा रही है।

- आरोपियों ने प्रारम्भिक पूछताछ में उक्त माल पंजाब से भरकर गुजरात सप्लाई करने हेतु ले जाना बताया

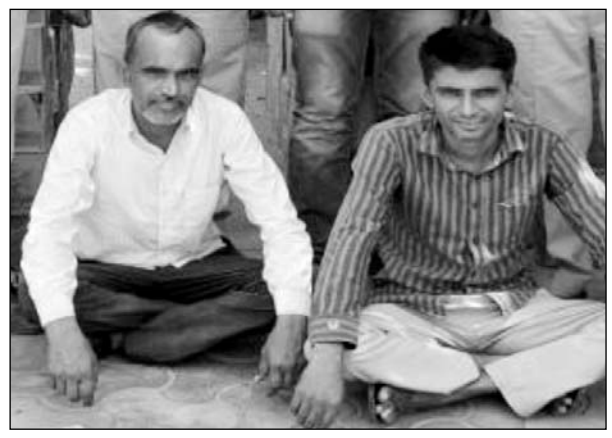
सायला पुलिस ने अवैध शराब सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इसी क्रम में मोटाराम गोदारा अति. पुलिस अधीक्षक, जालोर एवं गौतम कुमार जैन पुलिस उप अधीक्षक, वृत जालोर के सुपरविजन में सुरेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सायला के नेतृत्व में महिपालसिंह उपनिरीक्षक मय जाब्ता की पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचनानुसार अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस वे सरहद सांगाणा स्थित टोल नाका के पास पहुंच कर हड़मानाराम पुत्र रामाराम विश्नोई निवासी नया वास, मेघावा, पुलिस थाना चितलवाना जिला जालोर व नैनाराम पुत्र महिराम विश्नोई निवासी विश्नोईयो का वास, भाणिया, पुलिस थाना शिवपुरा जिला पाली के कब्जे से ट्रक में भरी हुई पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक डम्पर को जब्त कर पुलिस थाना सायला में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

आरोपियों ने प्रारम्भिक पूछताछ में उक्त माल पंजाब से भरकर गुजरात सप्लाई करने हेतु ले जाना बताया है, माल पंजाब से मंगवाकर गुजरात सप्लाई करने वाले पूनमाराम निवासी हेमागुडा के घर पर दबिश दी गई जो घर पर नहीं मिला। अवैध शराब पंजाब से कहां से भरवाया गया तथा गुजरात किसको सप्लाई किया जाना था इस सम्बंध में गहन अनुसंधान जारी है।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

जोधपुर, (कासं)। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में हार्डकोर अपराधी मोंटू कंडारा के खिलाफ यौन शोषण और धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि पीड़िता को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब अग्रिम जांच आरंभ की है। उसका मेडिकल करवाया गया है।

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारिक ने बताया कि हार्डकोर अपराधी नागौरी गेट निवासी मोंटू कंडारा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि वह यहां एक स्थान पर किराए पर रहती है। वह उसके संपर्क में आई तब उसने शादी का झांसा देकर पिछले दो साल से यौन शोषण करता रहा। शादी का दबाव बनाए जाने पर वह धमकाने लगा और मारपीट की। थानाधिकारी पारिक ने बताया कि पीड़िता का आज मेडिकल करवाया गया है।

प्रॉपर्टी व्यवसायी की हत्या का फरार आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी व्यवसायी की हत्या के फरार आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित था। जोधपुर पुलिस जिला पश्चिम के टॉप-10 वांछितों में शामिल है।

कुड़ी भगतासनी थाना अधिकारी हमीरसिंह भाटी ने बताया कि आरोपी कानाराम को जयपुर से पकड़ा है। वह प्रॉपर्टी व्यवसायी चंदन सिंह की मार्च में हत्या कर भागा था। आरोपी जयपुर से होते हुए अहमदाबाद गया। उसके बाद बेंगलुरु चला गया। बेंगलुरु में 8-10 दिन रहने के बाद जयपुर आ गया और मजदूरी करने लग गया। पुलिस को इस बारे में भनक लगी तो टीम गठित कर जयपुर से दबोचा। जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2025 को पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी में भवानी सिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में भवानी सिंह ने बताया कि 21 मार्च को मेरा भाई चंदन सिंह पुत्र हनुमान सिंह के साथ रात्रि में करीब 12 बजे से 12.40 बजे के आसपास रूपेश के मोबाइल पर मुकेश हुड्डा ने बात की और बताया कि आपकी गाड़ी में मेरा मोबाइल गिर गया था। आप मेरा मोबाइल मुझे लाकर दो, नहीं तो हम आपकी गाड़ियां जला देंगे। तभी फोन गंगाराम ने अपने पास लेकर फोन पर चंदन सिंह को धमकी दी। कहा कि मेरे दोस्त मुकेश हुड्डा फोन आपकी गाडी में भूल गया है, उसे वापस कर दो नहीं तो हम आपकी गाड़ियां जला देंगे और तुझे मार देंगे।

- प्रॉपर्टी व्यवसायी चंदन सिंह की मार्च में हत्या कर भागा था आरोपी, बेंगलुरु में 8-10 दिन रहने के बाद जयपुर आ गया और मजदूरी करने लग गया
- आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित था और जोधपुर पुलिस जिला पश्चिम के टॉप-10 वांछितों में शामिल था

चंदनसिंह फोन देने के लिए घर से रवाना हुआ। तब मोती मार्केट पुलिया के नीचे पहले से रूपेश सैन, मुकेश हुड्डा, गेनाराम, पारस सैन व 2-3 अन्य लोगों ने चंदनसिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चंदनसिंह के गर्दन के पास से खून बहना शुरू हो गया। चंदनसिंह का भाई हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

वारदात के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी रूपेश सैन, पारस सैन, अर्जुन चौधरी व प्रतापराम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुख्य आरोपी मुकेश हुड्डा व अशोक चौधरी, गंगाराम को गिरफ्तार किया गया था। कानाराम जाट फरार चल रहा था। उसको अब जयपुर से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। कानाराम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की टीम में कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी, हैड कॉन्स्टेबल प्रेम चौधरी, कॉन्स्टेबल जगदीश , धीरज मीना , महिपाल दिनेश शामिल रहे।

सांप के काटने से बालिका की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के काछोला थाना क्षेत्र में घर पर सोई हुई सात साल की मासूम बालिका को नींद में सांप के द्वारा काट लेने से हालत बिगड़ने पर महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां मासूम ने बीती रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मानवी पिता हेमराज दरोगा मूलत: चित्तौड़ जिले के निवासी हाल काछोला थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में अपने परिवार के साथ रह रही थी। मासूम आंगनबाड़ी में पढ़ाई करती थी। रोजमर्रा की तरह मानवी घर पर ही अपने माता-पिता के साथ सो रही थी, इसी दौरान सांप ने सोते समय मानवी के दोनों हाथों पर काट लिया जिसके चलते मानवी की हालत बिगड़ गई। सांप के काटने से मानवी चिल्लाई तो तुरंत माता-पिता उसे नजदीकी चिकित्सालय ले गए, जहां से हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे तुरंत महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया।

एमजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान बुधवार रात मानवी ने दम तोड़ दिया, जिसके शव को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया, जहां पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

पैंथर ने मवेशियों को निशाना बनाया

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में पैंथर (तेंदुआ) के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मांडल उपखण्ड के भादू ग्राम पंचायत के भालडी खेड़ा गांव की गोशाला में पैंथर ने बछड़ों को निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार सुबह जब वह गौशाला पहुंचे तो उन्होंने बछड़े और एक अन्य पशु को मृत पाया।

Jalore Nagrik Sahakari Bank Ltd.
Head Office : Near Haridav Joshi Circle , Jalore (Rajasthan)
Email: headoffice@jalorebank.com / Bank Website :- www.jalorebank .com Phone No. 9413854111
क्रमांक/जानसबैंकलि/1911 दिनांक :22.05.2025
निविदा सूचना
जालोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को अपनी विभिन्न शाखाओं के लिए वर्ष 2025-26 COMPUTER , HARDWARE- SOFTWARE, UPS - Battary & ATM/ Recycler Machine इत्यादि खरीद हेतु इच्छुक पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) से निविदाएं आंमत्रित की जाती है । इच्छुक पंजीकृत एव प्रतिष्ठित फर्म / कम्पनी (GST Firm) अपनी निविदा दरें सील बन्द लिफाफे मे दिनांक 06.06.2025 को सांय 4 बजे तक बैंक प्रधान कार्यालय स्थित मुख्यकार्यकारी अधिकारी के कक्ष मे रखें गये टेण्डर बॉक्स में डालना सुनिश्चित करें । निविदा प्रति निविदा शुल्क जमा करवाने पर प्राप्त कर सकते है । विस्तृत विवरण , शर्ते, मात्रा इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी बैंक की वेब साईट www.jalorebank .com पर उपलब्ध है ।
परमानन्द भट्ट
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

129 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग के तीन युवक गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। शहर पुलिस ने सायबर ठगी करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से ठगी में काम आने वाले उपकरणों को जब्त किया। आरोपियों ने देशभर में 719 प्रकरणों में 129.72 करोड़ की ठगी की है।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सायबर अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान 21 मई को डीएसटी टीम प्रभारी श्यामसिंह रत्नू को सूचना मिली कि सबसिटी सेंटर हिरणमगरी में कार में सवार तीन लड़के अन्य व्यक्तियों से बैंक खातों से अवैध लेनदेन कर रहे हैं। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनपुरोहित के सुपरविजन में श्यामसिंह रत्नू स्पेशल टीम प्रभारी मय टीम व हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी मय टीम ने मौके पर पहुंच कर कार्यवाही करते हुए हर्षवर्धन झा पुत्र राजेश झा, जयेश कुमार खटीक पुत्र सेशचन्द्र खटीक एवं तुफानसिंह पुत्र बन्नेसिंह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 मोबाइल, 2 लेपटॉप, 7 कंपनियों की मोबाइल सीम, 10 एटीएम, चैकबुक, बैंक डायरी सहित वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर प्रकरण दर्ज कर जांच हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी को सौंपी है। आरोपी टेलग्राम ग्रुप के माध्यम से केवाईसी, पूरा एक्सेस सहित देना अधुरी केवाईसी को ड्रेगन एसएमएस व गो एसएमएस नाम की एप्लीकेशन के माध्यम सेओटीपी प्राप्त कर पूरा एक्सेस देते थे। खातों की जानकारी प्राप्त करने के अपूर्ण खातेधारकों को लालच देकर केवाईसी पूर्ण कर उसके मोबाइल नंबर को लिंक कर खाते की संपूर्ण जानकारी, बैंक डायरी, चैक बुक व खाते की जानकारी भेजी जाती थी, जिनमें ठगी की नकदी जमा होती थी।

- ठगी करने में सहयोगी उपकरण जब्त, आरोपियों के खिलाफ देशभर में 719 शिकायतें दर्ज हैं

एसडीएम के लिए 70 हजार की रिश्वत लेते रीडर गिरफ्तार

लघु ईंट-भट्ठा लगाने के लिए भूमि समपरिवर्तन निरस्त करने के लिए परिवादी से रिश्वत ली

बहरोड़/नीमराना, (निसं)। जिला कोटपूतली-बहरोड़ के बहरोड़ उपखंड अधिकारी के रीडर ललित कुमार यादव निवासी गादोज तहसील बहरोड़ को एसडीएम रामकिशोर मीणा के नाम से लघु ईंट-भट्ठा लगाने के लिए भूमि सम परिवर्तन निरस्त करने के लिए परिवादी से 70 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी एसयू द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी परिवादी को परिवादी की भूमि पर लघु ईंट-भट्ठा लगाने के समपरिवर्तन आदेश को निरस्त करने के लिये 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर द्वितीय एवं अनिल कयाल उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरवीजन में एसीबी एसयू द्वितीय के प्रभारी अधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में मय विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी ललित कुमार यादव हाल वरिष्ठ सहायक रीडर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ एसडीएम रामकिशोर मीणा के लिए 70 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार गया है।

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.
NOTICE INVITING BID
NIB Number : 08/2025-26
Bids are invited for the Procurement of Services of "Strategic Business Promoter to Equip, Operate, Manage & Transfer Business Services at ICD, Jodhpur" from the eligible and experienced bidders up to 5.00 PM on 05.06.2025
Other particulars of the bid may be viewed on the procurement portal **(https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in)** of the state and the official website of RSIC i.e. **https://www.industries.rajasthan.gov.in/rsicl.**
The approximate value of the procurement is INR Rs. 15.00 Crores
UBN No: RSI2526SLOB00008
Raj.Samwad/C/24/2818 Managing Director

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
क्रमांक :- जोविप्रा/2025-26/471 दिनांक :- 20/05/2025
ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय/09/2025-26
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत संवेदक जिनका पंजीयन 4 वर्ष की अवधि में पुनरावलोकन (Review) किया हुआ हो जो निविदा की निर्धारित शर्तो को पूर्ण करती है से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **www.jodhpurjda.org, www.eproc.rajasthan.gov.in** एवं **www.sppp.raj.nic.in** पर देखी जा सकती है। **UBN No. : JOD2526WSOB00081, JOD2526WSOB00082**
राज.संवाद/सी/25/2756 अधिशाषी अभियंता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, बीकानेर
क्रमांक:- अअ/वि.खण्ड/बी./निविदा/2025-26/126 दिनांक:- 14.05.2025
ई-निविदा सूचना संख्या 06/वर्ष 2025-26 (NIB Code No. PWD2526A0574)
निम्न हस्ताक्षर कर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युतीकरण कार्यो के लिए मोहरबन्द निविदाएं सा.नि.वि., राज में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक 15.05.2025 से 26.05.2025 तक सांय 6.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। तकनीकी निविदा दिनांक 27.05.2025 को दोपहर 15.00 बजे खोली जायेंगी। प्री-बिड मिटिंग की दिनांक 21.05.2025 दोपहर 01.00 बजे है। निविदा की अन्य शर्ते एवं स्वीकृत तकमीना आदि का विवरण किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। अन्य शर्ते व विवरण इस कार्यालय में व डीपीआर की वेबसाईट www.dipronline.org, http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। कुल कार्यो की संख्या 03 कुल लागत 293.61 लाख।
UBN No. 1. PWD2526WSOB01728
2. PWD2526WSOB01729
3. PWD2526WSOB01730
भवदीय
(शैलेश कुमार पाठक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. विद्युत खण्ड, बीकानेर
DIPR/C/6491/2025

व्यापारी से 1.74 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से फर्जी फर्म बनाकर भीलवाड़ा के एक व्यापारी से धोखाधड़ी की थी

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की सायबर थाना पुलिस ने दिल्ली में गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से फर्जी फर्म बनाकर भीलवाड़ा के एक व्यापारी से 1.74 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 48 लाख 39 हजार रुपए भी रिकवर कर लिए हैं। उक्त फर्म के खिलाफ देश के पांच राज्यों में शिकायत दर्ज होने का भी खुलासा हुआ है।

सायबर पुलिस ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी व्यवसायी से गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई सायबर ठगी को लेकर सायबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बैंक एवं नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 60 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड करवा दिये। पुलिस टीम ने अथक प्रयास कर प्रकरण में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी करने वाले आरोपियों सरताज अली तथा मो. अख्तर अंसारी को गिरफ्तार किया था। अभी तक पुलिस 48.39 लाख रुपये पीड़ित व्यवसायी को बैंक खाते में रिफंड करवाए हैं। पुलिस ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के रहने वाले इन सायबर ठगों ने दिल्ली में जो फर्जी फर्म, गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम से बनाई, उक्त फर्म के बैंक खातों पर महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु सहित देशभर में करोड़ों की शिकायतें दर्ज हैं। सायबर थाना प्रभारी डीएसपी उदय सिंह चुण्डावत, सीआई घनश्याम मीणा, हेड कांस्टेबल मानसिंह, हेड कांस्टेबल राजेंद्र मीणा, कांस्टेबल राजेंद्र इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

भीलवाड़ा जिले की सायबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

- पुलिस ने आरोपियों से 48 लाख 39 हजार रुपए भी रिकवर किये, फर्म के खिलाफ पांच राज्यों में शिकायत दर्ज होने का भी खुलासा हुआ

महिलाओं के जेवर लूटने वाले दो गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। रात के समय सो रही महिला के सोने के जेवरात लूट ले जाने वाते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पांच वारदातें कबूल की।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि 5 मई को रात के समय अभियुक्त बंशीलाल उर्फ बंटी पुत्र खेमा मीणा निवासी बनकड़ा कुराबड़, प्रकाश उर्फ पिन्टु उर्फ आंतक मीणा पुत्र जीवनलाल मीणा निवासी डांग फला उमरड़ा हॉल डेढ किया हिरणमगरी कुराबड़ के जगत गांव बंगला की ढ ाणी में सो रही शांतिबाई पत्नी भेरूलाल रेबारी के कानों में पहनी सोने के कर्णफुल व डोडी लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक सूर्यवीरसिंह के सुपरविजन में कुराबड़ थानाधिकारी प्रभुलाल के नेतृत्व में गठित दल ने बंशीलाल उर्फ बंटी पुत्र खेमा व प्रकाश उर्फ पिंटु को गिरफ्तार किया। पूछताछ में वारदात में महेश पुत्र बाबुलाल उर्फ दलपत मीणा निवासी मानपुरा के शामिल होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात करने से पूर्व चोरी की गई बाईक व एक बाईक का इंजन भी बरामद किया। पुलिस आरोपियों ने पूछताछ कर रही है।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड राजाखेड़ा
क्रमांक : 182-196 दिनांक : 14.05.2025
अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 02/2025-26
NIB Code : PWD2526A0565 and UBN is : PWD2526WSOB01708
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड राजाखेडा जिला धौलपुर में सड़क एवं पुलिया मरम्मत कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवदेकों, राज्य सरकार के अन्य विभागों में पंजीकृत "एए", "ए" "बी" "सी" एवं "डी" श्रेणी संवेदकों एवं केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "एए", "ए" "बी" "सी" एवं "डी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.eproc.dipronline.org व http://www.pwd.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	मुख्यालय का नाम	:	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड राजाखेड़ा
1.	निविदा का कार्य	:	पुलिया मरम्मत कार्य
2.	निविदा की कुल लागत	:	रू. 17.25 लाख
3.	निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि जमा कराने की प्रक्रिया	:	वित्त विभाग द्वारा जारी प्रपत्र प.(5)/वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई-ग्रास चालान पर ऑनलाईन एक ही चालान द्वारा निम्न बजद मद में जमा करानी है। (1) निविदा शुल्क 0075-00-800-52-01 (2) प्रोसेसिंग शुल्क 8658-00-102-(16)-[02] (निर्माण विभाग) (RISL Fees) (3) धरोहर राशि 8443-00-108-00-00
4.	निविदा आवेदन/ डाउनलोड करने की तारीख (वेबसाइट पर)	:	दिनांक 15.05.2025 प्रात: 9.30 बजे दिनांक 26.05.2025 सायं 6.00 बजे तक
5.	निविदा फार्म जमा कराने की तारीख (वेबसाईट पर)	:	दिनांक 15.05.2025 प्रात: 9.30 बजे दिनांक 26.05.2025 सायं 6.00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तारीख (वेबसाईट पर)	:	दिनांक 27.05.2025 दोपहर 12.30 बजे

(सौरभ शर्मा)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड, राजाखेड़ा
DIPR/C/6480/2025